14 3/18	वकील वादी उप०/ बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/3/18 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)
20 3/18	वकील वादी उप०/ वादी का दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला मुकर्रर होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)
17 9/18	आज पत्रावली प्रा० पत्र पेश होने पर तलब की गई। वकील वादी की ओर से प्रा०पत्र धारा 152, सी.पी.सी. पेश किया गया। बहस वकील की प्रा० पत्र पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रा०पत्र 152 CPC स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय/डिक्री में संशोधन लाल स्याही करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला-स०मा०)

मूल वाद में डिकी

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

लड्डू पुत्र श्री लाल, जाति मीना निवासी ग्राम भांवड़, तहसील बामनवास, वादी

बनाम

1. रामराज पुत्र फूल्या, जाति मीना निवासी ग्राम भांवड़, तहसील बामनवास,
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बिछोछ, जरिये मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बिछोछ
3. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत इश्तकरार हक, खातेदारी दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 38/2015 निर्णय:- 20/3/2018

वादी स्वयं अपने अधिवक्त श्री रामसिंह मीणा सहित उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद में आज दिनांक 20.3.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि ग्राम भांवड़ में फूल्या की खातेदारी में भूमि खसरा नम्बर 626 रकवा 0.04 हैक्टेयर, 627 रकवा 0.76 हैक्टेयर, 1107 रकवा 0.40 हैक्टेयर, 1108 रकवा 0.75 हैक्टेयर, 1180 रका 2.10 हैक्टेयर, 1208 रकवा 0.26 हैक्टेयर, 1209

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

रकबा 2.30 हैक्टेयर, कुल रकबा 6.61 हैक्टेयर में वादी लड्डू पुत्र श्री लाल, जाति मीना निवासी ग्राम भांवड़, तहसील बामनवास को 1/2 हिस्से का खातेदार टीनैण्ट घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित आराजियात् से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में निर्णयानुसार आवश्यक संशोधन करें, प्रतिवादी संख्या 1 रामराज को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजियात् में वादी के 1/2 हिस्से के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में वादी को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे, डिक्री तदनुसार तैयार की जावे । खर्चे बावत किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 20.3.2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

नोट:- आदेश दिनांक 17-9-18 द्वारा प्रा० पत्र धारा 152 CPC स्वीकार होने पर वादी लड्डू के पिता का नाम श्रीलाल के स्थान पर बद्रीलाल पढ़ा जावे। इसी अनुसार डिक्री की पालना की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला–स०मा०)